तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/502/2006/सीकर सन्तलाल बनाम प्रभातीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री आत्मा राम शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 31.05.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण ने एक दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो एकपक्षीय डिक्री किया गया, जिसकी अपील संख्या 16/2001 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नीम का थाना न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें मौके की यथास्थिति के आदेश दिये हुए है। उनका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/502/2006/सीकर सन्तलाल बनाम प्रभातीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण में प्रतिवादी जिस इकरारनामा व डिक्री के आधार पर कब्जा बता रहे है वह बिन्दू सिविल न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील में विचाराधीन होने से लम्बित वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए था। उनका कथन है कि कानूनन जब समान विवादित आराजी बाबत् समान पक्षकारों के मध्य विवाद विचाराधीन हो तो अदालीत मातहत को स्वयं के स्तर पर ही कार्यवाही को रोक देना चाहिए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी को खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 10सीपीसी के प्रावधानों को नजरअन्दाज कर निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जावे। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि धारा 10 जाप्ता दीवानी के प्रावधान अनुसार पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व से ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/502/2006/सीकर सन्तलाल बनाम प्रभातीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचाराधीन है, जिसकी कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर सिविल न्यायालय के समक्ष अपील के विचारधीन होने से स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वर्ष 1992 से विचाराधीन चल रहा है जबकि प्रार्थी ने सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वर्ष 2001 में अपील प्रस्तुत की गयी है, जो विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित स्थाई निषेधाज्ञा के वाद की पश्चातवर्ती कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के समक्ष पश्चात्वर्ती अपील के विचाराधीन होने से पूर्ववर्ती स्थाई निषेधाज्ञा के वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के मद्देनजर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी को निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/502/2006/सीकर सन्तलाल बनाम प्रभातीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित निगराधीन आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	